न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—05/19

निर्णय दिनांकः—02.08.2019

1. चुन्नीलाल आयु 52 वर्ष
2. प्यारेलाल आयु 40 वर्ष पुत्रगण भगवानाराम जाति माली निवासी ग्राम सुण्डा की ढाणी तहसील रामगढ़ शेखावाटी।

..............प्रार्थीगण

बनाम

1. दुष्यन्त कुमार आयु 40 वर्ष पुत्र हरलाल जाति जाट निवासी ग्राम भाखरवासी तहसील रामगढ़ शेखावाटी।
2. लिखमाराम आयु 40 वर्ष
3. गणेशमल आयु 35 वर्ष पुत्रगण रामकुमार जाति माली निवासी ग्राम सुण्डा की ढाणी तहसील रामगढ़ शेखावाटी।
4. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया रामगढ़ शेखावाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
5. राजस्थान ग्राम बैंक शाखा रामगढ़ शेखावाटी जरिये शाखा प्रबन्धक।
6. तहसीलदार तहसील रामगढ शेखावाटी।
7. पटवारी पटवार हल्का सहनुसर।

...............अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए रा.का. अधिनियम

—:निर्णयः—

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी(प्रार्थीगण की ओर से)
अधिवक्ता श्री भीमसिंह (अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से)

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवेदकगण आराजी साबिक खसरा नं. 154 रकबा 4.7500 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 482 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 483 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 484 रकबा 4.70 है., कुल रकबा 4.70 हैक्टेयर वाके ग्राम गरण्डवा तहसील रामगढ का खातेदार, काबिज काश्तकार है तथा उक्त भूमि के 1/2 हिस्से का खाता आवेदकगण के नाम बना हुआ है। अनावेदकगण आराजी साबिक खसरा नम्बर 155/1(वर्तमान खसरा नम्बर 486) रकबा 3.38 है. के वर्तमान खसरा नम्बर 486 वाके ग्राम गरण्डवा तहसील रामगढ के खातेदार, काबिज काश्तकार हैं तथा उक्त भूमि में 2.49 हैक्टेयर का खाता अनावेकगण संख्या 2 व 3 तथा 0.89 हैक्टेयर का खता अनावेदकगण संख्या एक के नाम बना हुआ है। आवेदकगण साबिक खसरा नं. 154 रकबा 4.7500 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 482 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 483 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 484 रकबा 4.70 है., कुल रकबा 4.70 हैक्टेयर वाके ग्राम गरण्डवा के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा आवेदकगण उक्त कृषि भूमि में अपने 1/2 हिस्से में आने जाने हेतु साबिक खसरा नं. 154 रकबा 4.7500 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 482 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 483 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 484 रकबा 4.70 है., कुल रकबा 4.70 हैक्टेयर के उत्तर में स्थित कटाणी रास्ता जो कि ग्राम गरण्डवा से मण्डावा की ओर जाता है के दक्षिण में स्थित रास्ते से जो कि खसरा नं. 155/1(वर्तमान खसरा नम्बर 486) के बीच में से होता हुआ साबिक खसरा नं. 154 रकबा 4.7500 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 482 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 483 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 484 रकबा 4.70 है., कुल रकबा 4.

Scanned by CamScanner

70 हैक्टेयर की उत्तरी सींव में प्रवेश कर आवेदकगण के खेत में जाता है को ही अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है।

उक्त रास्ता आवेदकगण व उनके परिवारजन अपने पूर्वजों के समय से निरन्तर निर्बाध व शान्तिपूर्वक तरीके से अपने आवागमन, पशु, वाहन आदि लाने ले जाने हेतु अपने उपयोग उपभोग में लेते चले आ रहे है। आवेदकगण के पास अपने खेत में जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है किन्तु अनावेदकगण संख्या एक लगायत तीन के द्वारा कतयी गलत रूप से बिना किसी वैध हक अधिकार से उक्त रास्ते को बन्द करने की धमकियां आवेदकगण को दी जा रही है। आवेदकगण के खेत में जाने का अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है इसलिए आवेदकगण को ग्राम गरण्डवा से मण्डावा जाने वाले कटाणी रास्ते से प्रारम्भ होकर खसरा नं. 155/1(वर्तमान खसरा नम्बर 486) के मध्य में से साबिक खसरा नं. 154 रकबा 4.7500 हैक्टेयर के वर्तमान खसरा नम्बर 482 रकबा 0.04 है., खसरा नम्बर 483 रकबा 0.01 है., खसरा नम्बर 484 रकबा 4.70 है., कुल रकबा 4.70 हैक्टेयर की उत्तरी सींव में प्रवेश करने तक की लम्बाई का व 15 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जाना न्यायोचित है।

बहस पक्षकारान सुनी गयी। वकील पक्षकारान के तर्को पर मनन किया गया। पूर्व में भी इस न्यायालय द्वारा यह प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 16.06.16 द्वारा, पहले से ही रास्ता होने के कारण खारिज किया जा चुका है।

इस निर्णय की अपील प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय भू-प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय भू-प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा आदेश दिनांक 28.12.2018 को इस न्यायालय का आदेश दिनांक 14.06.16 को खारिज किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट प्राप्त कर, उभय पक्षों को सुनकर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा।

प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2019 को पुनः दर्ज किया गया। तहसीलदार रामगढ द्वारा अपेक्षित मौका रिपोर्ट दिनांक 09.07.2019 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये नवीन रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के खेत साबिक खसरा नं. 154 हाल खसरा नं. 484 में आवागमन हेतु ग्राम गरण्डवा से कटानी रास्ता खसरा नं. 481 अविभाजित खसरा नं. 484 की पूर्वी सीमा से चिपता हुआ उपलब्ध है।

प्रार्थीगण द्वारा नवीन चाहे गये प्रस्तावित निकटतम एवं लघुत्तम रास्ते की लम्बाई 7 मीटर चौड़ाई 4.57 मीटर कुल 32 वर्ग मीटर भूमि है। प्रार्थी के पास पहले से ही खेत पर जाने के लिए रास्ते का अधिकार है, इसलिए नवीन रास्ते का अधिकार देना अनिवार्य नहीं है। चूंकि प्रार्थीगण के पास नवीन रास्ते के अतिरिक्त अविभाजित खसरा नं. 484 की पूर्वी सीमा से चिपता हुआ रास्ता उपलब्ध है, यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र धारा 251(ए) आर.टी. एक्ट बाबत् खसरा नं. साबिक 155/1 हाल खसरा नं. 486 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 02.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी (सीकर)

Scanned by CamScanner